2023 प्रेषक,

ई–पत्रावली संख्या–49533

जे0एल0शर्मा
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 29 मार्च, 2023**

विषय : गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (QCBS) के आधार पर जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत फीडर नहरों परिकल्पन, निर्माण पद्वति हेतु RFP आमंत्रण एवं कार्य सम्पादन हेतु स्वीकृति एवं धनावंटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0 के पत्र संख्या–366 / प्र0नि0 / यू0पी0डी0सी0सी0 दिनांक 22.1.1.2022, पत्र संख्या–410 यू0पी0डी0सी0सी0 / जमरानी दिनांक 19.12.2022 एवं पत्र संख्या–106 / प्र0नि0 / यू0पी0डी0सी0सी0 दिनांक 16.03.2023 में किये गये अनुरोध के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जमरानी बांध परियोजना के अन्तर्गत फीडर नहरों परिकल्पन, निर्माण पद्वति हेतु RFP आमंत्रण एवं कार्य सम्पादन हेतु गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (QCBS) के माध्यम से कार्य कराये जाने तथा व्यय होने वाली धनराशि रू0 33,50,000.00 + जी एसटी**@ 18%** रू0 6.03 लाख= **कुल धनराशि रू0 39.53 लाख(रू0 उन्तालीस लाख तिरपन हजार मात्र)** की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल धनराशि रू0 39.53 लाख (**रू0 उन्तालीस लाख तिरपन हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय उसी योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के आरहण एवं व्यय में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश सं0–236/XXVII(1)/2022/9(150)-2019 दिनांक 04, अप्रैल, 2022 एवं शासनादेश सं0–391/09(150)-2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24,जून, 2022 में निर्धारित शर्तों के साथ–साथ बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।
6. प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमश.............2

8. कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिन कार्यो हेतु धनावंटन किया गया है, वे कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हों, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिकारी का होगा। कार्य की लागत को किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

10. उपरोक्त उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों एवं उल्लिखित धनराशि के सम्बन्ध में यदि कोई अस्पष्टता अथवा भ्रम की स्थिति प्रतीत हो रही हो तो वस्तुस्थिति शासन से तत्काल स्पष्ट करा ली जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य–001-निदेशन तथा प्रशासन–04 जमरानी बांध परियोजना हेतु एन.पी.बी./भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि–00–53–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन की कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–110413/2023 दिनांक 27 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नः अलॉटमेंट आई0डी0

भवदीय,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 29-03-2023 18:22:40

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।

ई–पत्रावली संख्या–49533 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
6. प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0डी0सी0सी0जमरानी, देहरादून।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0सचिवालय परिसर देहरादून।
10. वित्त नियंत्रक सिंचाई विभाग, देहादून।
11. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Dinesh Singh Badwal
Date: 29-03-2023 18:24:27

(दिनेश सिंह बड़वाल)
अनु सचिव।